

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय


// शुद्धि-आदेश //

भोपाल, दिनांक 04.12.2020

क्रमांक एफ 22-98/2020/पी-1/इकतीस :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के पृष्ठांकन क्रमांक-7 की तीसरी पंक्ति पर अंकित " कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन, भोपाल " के स्थान पर " कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, जल संसाधन विभाग, रीवा " पढ़ा जावे।

2. शेष आदेश यथावत रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(प्रमोद कुमार खरे)  
अवर सचिव

4/12/2020

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 04.12.2020

पृ.क्र एफ 22-98/2020/पी-1/इकतीस  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
  2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
  3. सचिव, बाणसागर कंट्रोल बोर्ड, रीवा के पत्र क्रमांक ई-1-28/of 2016/116-120, दिनांक 02.03.2020 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल।
  5. मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, जल संसाधन विभाग, रीवा, म.प्र.।
  6. श्री सुबोध कुमार भट्टाचार्य, निम्न श्रेणी लिपिक, कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, जल संसाधन विभाग, रीवा (म.प्र.) को सचिव, बाण सागर कंट्रोल बोर्ड, रीवा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त हों।
  7. संबंधित कर्मचारी श्री सुबोध कुमार भट्टाचार्य, निम्न श्रेणी लिपिक, कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, जल संसाधन विभाग, रीवा (म.प्र.) की ओर भेजकर निवेदन है कि प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर आप कार्यालय मुख्य अभियंता, गंगा बेसिन, जल संसाधन विभाग, रीवा में उपस्थिति देंगे।
- बेव मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट में प्रविष्टि हेतु।

9. आर्डर बृक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

5/12/2020

4/12/2020